		जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.07.2018	वकील प्रार्थी श्री बलवंत सिंह चौहान उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट देखी गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया जिन्होंने कमोबेश प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को ही दोहरायें। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया बनता है, तथा सहूलियत का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से **आगामी तारीख तक** पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का नरबदखेड़ा के वादग्रस्त खसरा सं. 10/1 रकबा 00–13–10 के 1/2 हिस्से का बेचान नहीं करेंगे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस पर उक्त आशय का नोट अंकित कर जारी किये जावे। मिसल दिनांक 07–08–2018 को पेश हो। उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर,	
07-08-18	वकील प्रार्थीगण उपस्थित / स्वयं प्रार्थीगण उपस्थित / प्रार्थीगण ने जरिए अभिभाषक मूल वाद में प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा. दी. सपठित धारा 151 जा. दी. प्रस्तुत कर कथन किए हैं कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से तयशुदा राशि प्राप्त कर ली इसलिये प्रार्थीगण वादपत्र/प्रा.पत्र T.I. पर आगे कार्यवाही नहीं करवाकर वादपत्र/प्रा.पत्र टी.आई. को विड्रो करवाना चाहते हैं। उपस्थित प्रार्थीगण को प्रा. पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। बाद समझने, वाद/प्रा. पत्र टी. आई. विड्रो किया जाना स्वीकार किया। उक्त आशय के हस्ताक्षर प्रार्थीगण से करवाए गए जिनकी पहचान उनके अभिभाषकगण ने अंकित की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन लोक अदालत की भावना से प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रा.पत्र टी. आई. विड्रो की अनुमति दी जाती है एवं प्रार्थीगण का प्रा. पत्र टी. आई. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,ब्यावर	अ. नि. लक्ष्मी मैना देवी पन्नालाल

2. अगर आवेदन प्रतिलिपि डाक से मंगवाना चाहता है तो उचित डाक टिकट भजना चाहिय।